



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 344 राँची, सोमवार, 13 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
3 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 मई, 2024

संख्या-5/आरोप-01-08/2022 का.-25561 (HRMS)--श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-123, दिनांक 09.02.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री बास्के के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i). बिना अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक- 04.01.2020 के अपराहन से अबतक अनाधिकृत रूप से लम्बी अवधि से मुख्यालय से बाहर रहना ।

(ii). कोविड-19 के रोकथाम हेतु इस वैश्विक महामारी में वास्तविक कारण को छुपाते हुए कर्तव्य से गायब रहना ।

(iii). लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची में परिवाद संख्या-01/लोक० (राजस्व)-27/17 में अनुपस्थित रहना ।

(iv). सुन्दर नगर थाना कांड संख्या- 22/17 में गिरफ्तारी के भय से चिकित्सा अवकाश में जाना ।

(v). अधिसूचना संख्या- 6136 दिनांक- 28.09.2021 के आलोक में प्रोन्नति के पश्चात डाक के माध्यम से योगदान करना ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1509, दिनांक 09.03.2022 द्वारा श्री बास्के से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री बास्के द्वारा पत्रांक- 01(कैम्प), दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें समर्पित किया गया कि अस्वस्थता एवं ईलाजरत रहने की सूचना/ अवकाश अनुमति समय-समय पर उपायुक्त, गोड्डा को इससे संबंधित छुट्टी आवेदन पत्र निबंधित /स्पीड पोस्ट/ई मेल के माध्यम से डॉक्टर की पर्ची सहित भेजते रहे। साथ ही ये प्रथम एवं द्वितीय चरणों में कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान संक्रमित हो गये, जिसमें इनकी स्वास्थ्य अत्यंत खराब थी। संपर्क सूत्र होने के संबंध में उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि ये गोड्डा एडमिनिस्ट्रेशन के व्हाट्स अप ग्रुप में अपने आधिकारिक नं० से दिनांक- 13.03.2021 तक जुड़े रहे परन्तु दिनांक- 14.03.2021 को इन्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं षडयंत्र के तहत स्थापना उप समाहर्ता, गोड्डा श्री मनोज कुमार के द्वारा ग्रुप से हटा दिया गया। इनके द्वारा समय-समय पर उपायुक्त, गोड्डा को अवकाश विस्तारित करने हेतु आवेदन दिया जाता रहा है ।

लोकायुक्त, झारखण्ड में दाखिल परिवाद के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग के पत्रांक- 3920 रा०, दिनांक- 17.10.2019 के प्राप्ति के पश्चात भू०सु० उप समाहर्ता कार्यालय, गोड्डा के पत्रांक- 424/भू०सु० दिनांक- 21.10.2019 के तहत नोटिस तामिला का नोटिस प्राप्ति संबंधी उत्तर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को प्रेषित किया। लोकायुक्त के कार्यालय के पत्रांक- 5847 दिनांक- 04.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय पत्रांक- 471 दिनांक- 30.12.2019 द्वारा माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड, राँची को स्पष्टीकरण समर्पित किया। सुन्दर नगर थाना कांड संख्या-22/17 के विरुद्ध इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०आर०एम०पी० 4271/2018 दर्ज किया गया है ।

3. श्री बास्के के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3545 दिनांक- 08.06.2022 द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-619/स्था०, दिनांक 07.07.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री बास्के द्वारा प्रशासन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जो उनके अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्याहीनता का परिचायक है, जिसके लिए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है ।

4. उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप, उक्त आरोपों पर श्री बास्के से प्राप्त स्पष्टीकरण, श्री बास्के के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गोड्डा से प्राप्त मंतव्य की विभाग स्तर पर समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत श्री बास्के के विरुद्ध प्रस्तावित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निंदन का दण्ड पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत विभागीय पत्रांक- 304 दिनांक- 12.01.2024 के द्वारा श्री बास्के से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई ।

5. श्री बास्के के द्वारा पत्रांक- 06(कैम्प)/राँची, दिनांक- 18.03.2024 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

6. श्री बास्के के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य या तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण की भांति स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया गया है। श्री बास्के के द्वारा दिनांक- 04.01.2020 से दिनांक- 09.02.2022 तक बिना अवकाश स्वीकृति कराये लम्बे समय से अनुपस्थित रहने का कारण मात्र स्वास्थ्य संबंधी कारणों को बताया गया है, जो पूर्ण रूप से संतोषप्रद नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री लखी राम बास्के, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री लखी राम बास्के, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LAKHI RAM BASKEY 20060400007	श्री लखी राम बास्के, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
